भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3592

11.08.2025 को उत्तर के लिए

इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन

3592. श्री गुरजीत सिंह औजलाः

डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की खराब मोबाइल फोनों, कम्प्यूटरों, यूपीएस प्रणालियों, लिथियम/एसिड आधारित विभिन्न बैटरियों आदि सहित बेकार इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का निपटान करने की कोई योजना है;

(ख) बैटरी के विषैले तरल पदार्थ का निपटान किस प्रकार किया जा रहा है;

(ग) क्या ई-कचरा पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारक बन गया है;

(घ) यदि हां, तो देश में प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में ई-कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है और ई-अपशिष्ट से होने वाले ऐसे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई मानदण्ड हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना भारत के इलेक्ट्रॉनिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संपरीक्षा और स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा तय करने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 को व्यापक रूप से संशोधित किया है और नवंबर, 2022 में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 को अधिसूचित किया जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू है। ये नियम उक्त नियमों की अनुसूची-I में सूचीबद्ध 106 विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) को विनियमित कर रहे हैं, जिनमें उपयोग में न आने वाले मोबाइल फोन, कंप्यूटर और यूपीएस सिस्टम शामिल हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 24 अगस्त, 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है। ये नियम सभी प्रकार की

बैटरियों, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियाँ, पोर्टेबल बैटरियाँ, ऑटोमोटिव बैटरियाँ और औद्योगिक बैटरियाँ, पर लागू होते हैं। इन नियमों के अंतर्गत, आयातकों सहित सभी उत्पादकों को बेकार बैटरियों के संग्रहण, पुनर्चक्रण या नवीनीकरण के लिए अनिवार्य विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) लक्ष्य दिए गए हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 के अंतर्गत ईपीआर ढाँचा, लैंडफिल में बेकार बैटरियों के निपटान पर प्रतिबंध लगाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने लेड एसिड बैटरी रीसाइक्लिंग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जिसमें खतरनाक तरल पदार्थों के सुरक्षित निकास और उनके निपटान तथा अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उनके पुन: उपयोग के उपायों को निर्दिष्ट किया गया है। उत्पादकों और पुनर्चक्रकों के पंजीकरण, उत्पादकों और पुनर्चक्रकों के बीच ईपीआर प्रमाणपत्रों के आदान-प्रदान हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है ताकि उत्पादकों के ईपीआर दायित्वों को पूरा किया जा सके।

(ग) से (च) सीपीसीबी पंजीकृत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए देशव्यापी बिक्री आंकड़ों और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत यथा अधिदेशित, अधिसूचित ईईई के औसत उपयोग अवधि के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट उत्पादन का अनुमान लगाता है। सीपीसीबी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान देश में उत्पन्न ई-अपशिष्ट निम्नलिखित है:

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	**उत्पन्न कुल ई-अपशिष्ट [टन/वर्ष]**
2023-2024	12,54,286.55
2024-2025	13,97,955.59

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट का प्रबंधन करने और ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए एक बेहतर ईपीआर व्यवस्था लागू करने का प्रावधान करता है, जिसमें सभी निर्माताओं, उत्पादकों, नवीनीकरणकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। नए प्रावधान अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक क्षेत्र में व्यापार करने और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम और चैनलाइज़ करते हैं। ये नियम ईपीआर व्यवस्था और ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक पुनर्चक्रण/निपटान के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा, सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट नियमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सीपीसीबी द्वारा एक ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल विकसित किया गया है, जिसमें ई-अपशिष्ट के उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं जैसी संस्थाओं को पंजीकृत होना आवश्यक है।

(ii) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट के वैज्ञानिक और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इन दिशानिर्देश में पर्यावरण की दृष्टि से

सुरक्षित तरीके से ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक मशीनरी और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों से संबंधित प्रक्रियाओं और सुविधाओं का विस्तार से उल्लेख है।

(iii) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के कार्यान्वयन हेतु एक कार्य योजना तैयार है और इसे सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) द्वारा अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्ययोजना में एसपीसीबी/पीसीसी को अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जांच के लिए नियमित अभियान चलाने और उन्हें औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने का दायित्व दिया गया है।

(iv) पंजीकृत संस्थाएं ई-अपशिष्ट पोर्टल पर त्रैमासिक और वार्षिक रिटर्न के माध्यम से अपना अनुपालन प्रस्तुत करती हैं।

(v) इन नियमों में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से सत्यापन और लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है, ताकि इन नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यादृच्छिक निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से इन नियमों के अनुपालन को सत्यापित किया जा सके।

(vi) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अंतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं, ताकि इन नियमों और इसके अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में किसी भी इकाई पर ईसी लगाया जा सके।

(vii) सीपीसीबी ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

(क) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 18 (1) (ख) के तहत दिनांक 06.09.2022 को अनौपचारिक ई-अपशिष्ट कार्यकलापों की जाँच, ई-अपशिष्ट के अधिकृत विघटनकर्ताओं/पुनर्चक्रणकर्ताओं के सत्यापन और व्यापक जागरूकता अभियान के संबंध में निदेश।

(ख) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत दिनांक 30.01.2024 के ऑनलाइन ई-अपशिष्ट ईपीआर पोर्टल पर उत्पादकों, निर्माताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं और नवीनीकरणकर्ताओं के पंजीकरण के संबंध में निदेश।

(ग) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए उत्पादकों के ईपीआर दायित्वों की पूर्ति हेतु ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ताओं द्वारा ईपीआर प्रमाणपत्रों को तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिनांक 14.02.2024 के निदेश।

*****